



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179036

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4017 सन् 2026

किशोर एक्सवाईजेड अवयस्क

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : राहुल मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : राम स्वरूप, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. वाद-सूची दोहराई गई। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा विद्वान किशोर न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), फतेहपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 27 सन् 2026, किशोर एक्सवाईजेड (अवयस्क) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (मुकदमा अपराध संख्या 36 सन् 2026, धारा 103(1), 238 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना हुसेनगंज, जनपद फतेहपुर में पारित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक 19.06.2026 के निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाए, जिसके द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए किशोर न्याय बोर्ड, फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 05.05.2026 के आदेश की पुष्टि की है, जिसके द्वारा उसने उपर्युक्त मुकदमा अपराध में किशोर (पुनरीक्षणवादी) की जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। पुनरीक्षणवादी की आयु लगभग 12 वर्ष है और वह दिनांक 07.03.2026 से संप्रेक्षण गृह में है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं था तथा अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा वर्तमान पुनरीक्षणवादी को अपराध किए जाने से जोड़ने के लिए कोई भी सामग्री एकत्र नहीं की गई, सिवाय सह-अभियुक्त शिवा द्वारा दिए गए इकबालिया बयान के, जिसे वर्तमान मामले में सी.डी.आर. के आधार पर अभियुक्त बनाया गया था। इस प्रकार पुनरीक्षणवादी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी का इकबालिया कथन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था, किंतु वह अप्रासंगिक है और उसका कोई मूल्य नहीं है। उसके कब्जे से अथवा वर्तमान पुनरीक्षणवादी के निशानदेही पर भी कोई बरामदगी नहीं की गई। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी दिनांक 07.03.2026 से किशोर संरक्षण गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़ित तथा अपचारी की आयु को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त शिवा तथा वर्तमान पुनरीक्षणवादी के इकबालिया कथन में अपराध किए जाने में उसकी संलिप्तता दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी निशानदेही पर कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। जिला परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों तथा जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है, बल्कि अपना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बगैर आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।
7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित दिनांक **05.05.2026** के आदेश तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.06.2026 के आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।
8. यह निर्देशित किया जाता है कि **सुनील दत्त वर्मा के पुत्र किशोर एक्सवाईजेड** को पुनरीक्षणवादी (अपचारी के विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

24 अगस्त, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”